



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 वैशाख 1939 (श0)
(सं0 पटना 343) पटना, शुक्रवार, 28 अप्रील 2017

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

अधिसूचना
26 अप्रील 2017

सं0 10/रा. फ्री होल्ड-13/2016-2285—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-9 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा आवंटित सम्पदाओं को लीज होल्ड अधिकार से फ्री-होल्ड अधिकारों में सम्परिवर्तित करने से संबंधित हस्तांतरण दस्तावेज में वर्णित सम्परिवर्तन हेतु भुगतान किए गए प्रतिफल की राशि पर ही भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-IA के अनुच्छेद-23 की दर से स्टाम्प ड्यूटी की प्रभार्यता नियत करते हैं।

02. यह तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

26 अप्रील 2017

सं0 10/रा. फ्री होल्ड-13/2016-2285—उपर्युक्त राज्यादेश का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 26th April 2017

No. 10/Ra.-Free Hold-13/2016-2285—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section-9 of the Indian Stamp Act, 1899, the Governor of Bihar is pleased to fix the chargeability of Stamp duty payable at the rate of Article 23 of Schedule-1A of Indian Stamp Act, 1899 on the document of conveyance relating to conversion of

lease hold rights into free hold rights of the properties allotted by Bihar State Housing Board, only on the amount of consideration paid for the conversion as described in the document.

02. It shall come into force with immediate effect.

By the order of the Governor of Bihar,

Amir Subhani ,

Principal Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 343-571+500-डीटीपी।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>